न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
54/2024	26.02.2024	16.04.2024

उनवान

1. लादू लाल पुत्र श्री प्रोगा जी सेन, उम्र 65 वर्ष, निवासी धांगड़ारा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रामपाल पुत्र श्री छोगा जी सेन, उम्र 62 वर्ष, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गोठिया पुत्री श्री कन्हैया लाल जी सेन पत्नी श्री शम्भु जी सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा हाल निवासी गेगास (भादू) तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गौरी देवी पत्नी कन्हैया लाल सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. नारायणी पुत्री श्री कन्हैया लाल सेन पत्नी श्री देबी लाल सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी हरणी तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. प्रमोद पुत्र श्री बद्री लाल सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. लाली पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी स्व. श्री शंकर जी सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी पारलिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. श्याम लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. सीता पुत्री श्री कन्हैया लाल सेन पत्नी श्री गोपाल, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी नन्दराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
10. सोहन लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल सेन, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू लाल पुत्र श्री खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कालु पुत्र श्री धन्ना गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

3. शंकर पुत्र श्री धन्ना गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भगवान दास पुत्र श्री रघुनाथ दास वैरागी, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. लाला दास पुत्र श्री रामेश्वर दास वैरागी, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. नारायण पिता नामालुम, जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. रामप्रसाद पुत्र श्री मथुरा दास वैष्णव, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. सियाराम पुत्र श्री मथुरा दास वैष्णव, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. देवेन्द्र पुत्र श्री मदन लाल व्यास, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी भोपालगंज, भीलवाड़ा'
10. शिव लाल पुत्र श्री शोभा लाल व्यास, उम्र वयस्क, निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी भोपालगंज, मियाचन्द जी की बावड़ी के पास, भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य तहसीलदार भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी रामस्वरूप जोशी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धांगडास प0ह0 कान्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 38 की अभिलिखित आराजियात 101/4, 101/5, 34/13, 52 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1359 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी

Chad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा धांगडास प0ह0 कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 38 की अभिलिखित आराजियात 101/4, 101/5, 34/13, 52 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1359 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व क़ब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा